<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238609 CG-DL-E-05092022-238609

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3973] No. 3973] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

का.आ. 4154(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त उपवाक्य के उद्देश्य से, "सेन्ट्रल रिक्ट्री आफ सेक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एण्ड सेक्यूरिटी इन्टेरेस्ट ऑफ इंडिया" (पैन न. AAECC5770G) जो कि सेक्यूरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्यूरिटी इंटेरेस्ट (एसएआरएफएइएसआई) अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत गठित एक निकाय है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातु: -

- (क) प्रतिभूति ब्याज लेनदेन से प्राप्त शुल्क आय;
- (ख) केन्द्रीय केवाईसी (सीकेवाईसी) रिकार्ड रजिस्ट्री पर लेनदेन से प्राप्त शुल्क आय;
- (ग) आरटीआई आवेदन शुल्क; और
- (घ) सावधि जमाओं और उपरोक्त (क) से (ग) पर अर्जित ब्याज आय।
- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंट्रेस्ट ऑफ इंडिया:-

5954 GI/2022 (1)

- (क) किसी व्यासायिक कार्यकालाप में लिप्त नहीं होगी;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- 3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के संबंध में लागू हुई मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 107/2022/फा. सं. 300196/25/2018-आईटीए-I)

सौरभ जैन. अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

- **S.O. 4154(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India' (PAN AAECC5770G), a body set up under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (No.54 of 2002) in respect of the following specified income arising to that body, namely:-
 - (a) fee income from Security Interest transaction;
 - (b) fee income from transactions on Central KYC (CKYC) Records Registry;
 - (c) RTI application fee; and
 - (d) interest income earned on fixed deposits and on (a) to (c) above.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India, -
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022 and shall be applicable with respect to the financial year 2022-2023.

[Notification No. 107/2022/F. No. 300196/25/2018-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being affected adversely by giving retrospective effect to this notification.